2025/733

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

भोलाराम मीणा बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

मु.नं. 368 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा 131 व 136 LR

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
15/09/25	प्रार्थी भोला राम मीणा पुत्र मोहन लाल मीणा जाति मीणा निवासी कुण्डलपुर तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड में गलती से दर्ज रास्ते को निरस्त करवाने बाबत तरमीम शुद्धि हेतु पेश कर निवेदन किया कि "प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 1026 है, जिसके नवीन 1252/1241 ग्राम आंतरी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर अवस्थित है, जो मेरी कृषि भूमि में सहवन से ऑनलाईन रास्ता दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जबकि मौके पर व राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज नहीं है। अतः उक्त रास्ते को ऑनलाईन से निरस्त कर तरमीम दुरूस्त करने की कृपा करें।" अतः उक्त के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3234 दिनांक 12.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ. धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3234 दिनांक 12.09.2025 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम आंतरी पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खसरा सं. 1134/1026 रकबा 0.0300 हेक्टेयर के संबंध में तरमीम उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ संलग्न रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 1 (फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार) दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार मौके के अनुसार तरमीम व रकबा ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दुरूस्त किया जावें। उक्त की पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि उक्त तरमीम दुरूस्ती करने से किसी भी सीमा से लगते हुये प्रार्थीपक्ष/खातेदारान के खसरानों के अलावा अन्य खसरानों के रकबे व स्थिति में परिवर्तन नहीं हों। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक [illegible] 25/3234 दिनांक 12.09.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट [illegible] संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग [illegible] आदेश [illegible] गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible] उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:17 IST
Reason: SelfAttested